



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छग०/दुर्ग/चू०प०-4०/रायपुर

खान कोड: 38 छ०ग० 05005

दिनांक:- 26/08/2019

प्रति,

श्री फिलिप मैथ्यू, चीफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफिसर एवं नॉमिनेटेड ऑनर
मेसर्स सिंधानिया मिनरल्स, प्राइवेट लिमिटेड
ए०सी०सी० लिमिटेड, सीमेंट हाउस,
121, महर्षि कर्वे रोड,
मुम्बई (महाराष्ट्र)-400020

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी मेडेसरा चूनापत्थर खदान 8.80 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07/08/2019 को श्री पी० पी० पाण्डेय, डी०जी०एम० (माईन्स) एवं श्री संजय कुमार शर्मा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

| नियम | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा |
|--------------------|---|
| Rule 11 (1) | The following deviations have been found in the mine from approved Modified Mining Plan vide letter no. DRG/LST/MPLN-749/NGP/2016/23RPR Raipur dated 27/07/2016 for the period of 2016-17 to 2020-21: Development: (i) Along boundary pillar no. BP7 to BP15 at 7.5 m barrier zone without proposal and most of places 7.5m barrier zone has been mined out. (ii) In between pillar no. BP 9 to BP 12, working has been extended beyond lease area. Afforestation: There was a proposal given for plantation of 750 nos. of plants during 2016-17. Whereas, 491 nos. of the plants have been planted. |
| Rule 33 | 06 nos. of boreholes drilled during F.Y. 2016-17 to 2017-18 have not been shown the submitted Geological Plan and Sections. |
| Rule 45 (7) | Annual Return 2018-19: Part IIA: Capital Structure Value of Fixed Assets (in ₹) 1952133.00 has been given similar to the another mining lease i.e. 38CHG05003 (17.90 Ha.). Part VI: Production, Dispatches And Stock 3. (i) Since the mineral is not pulverised within lease area, hence, the Average cost of Pulverization may not be given. 5. For captive use of mineral/ore, Sale value should be mentioned as 'Zero'. Part VII: Cost of Production: (i) For computation of cost of production, cost of transportation from mining lease up to the captive plant should not be added. (ii) Value of Depreciation is similar for both mining leases i.e. (38CHG05005 & 38CHG05003) |
| Rule 55 | Full-time Mining Engineer and a Geologist are not been appointed. |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. श्री वैभव दीक्षित, निदेशक (प्लान्ट) एवं एजेन्ट (माईन्स), ए0सी0सी0 लिमिटेड, जामुल सीमेन्ट वर्क्स, जामुल, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ0ग0)-490024.

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर